

P.S.No.130/2014



## WESTERN RAILWAY

Headquarter Office,  
Churchgate,  
Mumbai-400 020.

No. E(R&T) 890/60/1/LARSGESS/Policy-Vol. II

Date: 02/12/2014

To,

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn.'W' Zone, Mumbai

C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Clarification regarding reckoning of 20/33 years of qualifying service in respect of Drivers, Gangmen, Specified safety categories in GP 1800 and 1900 under Liberalized Active Retirement Sc heme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) - PNM/AIRF Item No.23/2013 and NFIR's letter No.II/NFIR/95/Pt.IV dated 03.07.2014.

=====

A copy of Railway Board's letter No. E(P&A) I-2013/FE-2/3 dated 01.12.2014 (RBE No.131/2014) is enclosed herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

*Neha Gupta*  
02/12/14  
(Neha Gupta)  
SPO (HRD)

For General Manager(E)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*\*

RBE No. 131/2014.  
New Delhi Dated 01.12.2014.

No. E(P&A)I-2013/FE-2/3  
The General Managers,  
All Indian Railways.

Sub: Clarification regarding reckoning of 20/33 years of qualifying service in respect of Drivers, Gangmen, Specified safety categories in GP 1800 and 1900 under Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) - PNM/AIRF Item No. 23/2013 and NFIR's letter No. II/NFIR/95/Pt. IV dated 03.07.2014.

\*\*\*\*\*


The issue of reckoning of prescribed 20/33 years of qualifying service in specified safety categories or otherwise for determining the eligibility of Drivers, Gangmen, Specified safety categories in GP 1800 and 1900 under Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) has been under consideration of the Board for quite some time.

2. In partial modification of the clarification contained in Board's letter No. E(P&A)I-2011/RT-6 dated 11.03.2013, it has now been decided by Board that for determining the eligibility of the employee in respect of the prescribed qualifying service of 33/20 years under LARSGESS, an employee is required to render total qualifying service of 33/20 years, out of which the employee should have rendered at least the last ten years in the concerned safety category post. Past cases decided otherwise by the railways need not be re-opened.

3. In view of the above, for determining the eligibility of the employee under the Scheme, the eligibility conditions for the specified safety categories for seeking retirement under LARSGESS would be as under:-

S.No.	Category	Eligibility conditions on the cut off date	
		Qualifying service	Age
1.	Drivers and specified safety category posts in GP 1900	(i) Total 33 years. (ii) Last ten years in the concerned safety category post.	55 - 57 years.
2.	Gangmen and other specified safety category posts in GP 1800.	(i) Total 20 years. (ii) Last ten years in the concerned safety category post.	50 - 57 years.

4. The other terms and conditions of the Scheme would remain unchanged.

  
(K. Shankar)  
Director Estt.(P&A),  
Railway Board.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 131 /2014

नई दिल्ली, दिनांक 01.12.2014

सं. ई(पीएंडए)- 2013/एफई-2/3

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें।

विषय: संरक्षा कर्मचारियों के गारंटीशुदा रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति स्कीम (एलएआरएसजीईएसएस) के अंतर्गत ग्रेड पे 1800/- रुपए और 1900/- रुपए में कार्यरत ड्राइवर, गैंगमैन, विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों के मामले में 20/33 वर्ष की अर्हक सेवा की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण - पीएनएम/एआईआरएफ मद सं. 23/2013 और एनएफआईआर का दिनांक 03.07.2014 का पत्र सं. 11/एनएफआईआर/95/पार्ट. IV.

\*\*\*\*\*

बोर्ड द्वारा कुछ समय से संरक्षा कर्मचारियों के गारंटीशुदा रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति स्कीम (एलएआरएसजीईएसएस) के अंतर्गत ग्रेड पे 1800/- रुपए और 1900/- रुपए में कार्यरत ड्राइवर, गैंगमैन, विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण के लिए विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों में अथवा अन्यथा 20/33 वर्ष की निर्धारित अर्हक सेवा की गणना के मुद्दे पर विचार किया जा रहा था।


2. बोर्ड के दिनांक 11.03.2013 के पत्र सं. ई(पीएंडए)/2011/आरटी-6 में अन्तर्विष्ट स्पष्टीकरण में आंशिक संशोधन करते हुए, बोर्ड द्वारा अब यह निर्णय किया गया है कि एलएआरएसजीईएसएस के अंतर्गत 33/20 वर्ष की निर्धारित अर्हक सेवा के संबंध में किसी कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कर्मचारी द्वारा कुल 33/20 वर्ष की अर्हक सेवा की गई होनी अपेक्षित है, जिसमें से कर्मचारी द्वारा कम से कम अंतिम दस वर्ष की सेवा संबंधित संरक्षा कोटि के पद पर की गई होनी चाहिए। रेलवे द्वारा विगत में अन्यथा निर्णीत मामलों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. उपर्युक्त को देखते हुए इस स्कीम के तहत कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए एलएआरएसजीईएसएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के लिए पात्रता की शर्तें निम्नानुसार होंगी:

क्रम सं.	कोटि	निर्धारित तारीख को पात्रता	
		अर्हक सेवा	आयु
1.	ग्रेड पे 1900/- रुपए में ड्राइवर तथा विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटि के पद	i) कुल 33 वर्ष ii) अंतिम दस वर्ष संबंधित संरक्षा कोटि के पद पर रहा होना चाहिए	55-57 वर्ष
2.	ग्रेड पे 1800/- रुपए में गैंगमैन और अन्य विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटि के पद	i) कुल 20 वर्ष ii) अंतिम दस वर्ष संबंधित संरक्षा कोटि के पद पर रहा होना चाहिए	50-57 वर्ष

.....2/-

4. इस स्कीम की अन्य निबंधन एव शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

  
(के. शर्कर)


निदेशक स्थापना (पीएंडए)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए):- 2013/एफई-2/3

नई दिल्ली, दिनांक 01.12.2014

प्रति संबन्धित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 4) सेक्रेटरी जनरल, फ्रॉआ
- 5) सेक्रेटरी, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 6) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- 7) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा सं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
- 8) अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- 9) सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
- 10) सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, एआईआरएफ एसोसिएशन।
- 12) जनरल सेक्रेटरी, जॉल इंडिया एस सी/एस टी रेलवे इंप्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
- 13) जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इंप्लाइज़ वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि.) 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।

  
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड